

प्रेस नोट – थाना कादरीगेट

दिनांक :- 12.03.2025

थाना कादरीगेट पुलिस व आबकारी टीम द्वारा आगामी त्यौहार होली के दृष्टिगत अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये गये अभियान के तहत 03 नफर अभियुक्त को शराब बनाने के उपकरण मय कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक / पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में थाना कादरीगेट पुलिस व आबकारी टीम द्वारा आगामी त्यौहार होली के दृष्टिगत अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये गये अभियान के तहत 03 नफर अभियुक्त को शराब बनाने के उपकरण मय कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 0062/2025 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।



अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. सोनपाल पुत्र राजाराम निवासी नरकसा थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।
2. विकास पुत्र रामप्रकाश निवासी रामलीला गढ़वा थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।
3. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र नरेश चन्द्र निवासी दीनदयाल बाग थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. पीयूष यादव पुत्र राजीव यादव निवासी सिविल लाइन कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
2. शनि राजपूत पुत्र राजबाबू राजपूत निवासी शीशमबाग कैण्ट कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
3. रजत ठाकुर उर्फ सत्यम सिंह पुत्र गोपाल सिंह निवासी शीशमबाग कैण्ट कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
4. देवान्त मिश्रा उर्फ देवेश मिश्रा पुत्र प्रमोद कुमार मिश्रा निवासी शीशमबाग कैण्ट कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
5. करन माथुर पुत्र संजय माथुर निवासी भोलेपुर न्यू इंद्रा कालोनी लोको रोड कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का विवरण:- अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 10.03.2025 को एक राय होकर नाजायज अस्लाह से लैस होकर वादी व वादी के पुत्र विराट शुक्ला पर जान से मारने की नियत से फायर किया था। उक्त घटना के सम्बन्ध में वादी श्री अमित कुमार शुक्ला पुत्र श्री भोलानाथ शुक्ला निवासी जे.एन.वी. रोड फतेहगढ़ कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ के प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 11.03.2025 को मु0अ0सं0 60/2025 धारा 191(2)/191(3)/109 बीएनएस बनाम पीयूष यादव आदि 12 नफर पंजीकृत किया गया था। अभियोग की विवेचना के क्रम में दिनांक 12.03.2025 को अभियुक्तगण 1. पीयूष यादव पुत्र राजीव यादव फतेहगढ़ 2. शनि राजपूत पुत्र राजबाबू राजपूत 3. रजत ठाकुर उर्फ सत्यम सिंह पुत्र गोपाल सिंह 4. देवान्त मिश्रा उर्फ देवेश मिश्रा पुत्र प्रमोद कुमार मिश्रा 5. करन माथुर पुत्र संजय माथुर को मुखविर की सूचना पर गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- पकड़े गये सभी अभियुक्तगण द्वारा एक स्वर में बताया कि हम लोगो ने अपने अन्य साथियों के साथ मोटरसाइकिलों व स्कूटी से विराट शुक्ला से बदला लेने के लिये उसके घर पर गये थे वह घर से बाहर नहीं निकला तो उसके गली वाले दरवाजे पर फायर किया था और शनि राजपूत ने मेन रोड की तरफ फायर कर दिया था। पकड़े जाने के डर से हम लोग अपनी मोटरसाइकिलों व स्कूटी से मौके से भाग गये थे।

बरामदगी का विवरण:-

1. 02 तमंचा 315 बोर व 02 खोखा कारतूस नाल मे फंसा हुआ व 02 जिन्दा कारतूस ।
2. 01 अदद मोटरसाइकिल अपाचे।
3. 01 अदद मोटरसाइकिल बुलेटा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त पीयूष यादव उपरोक्त:-

- 1- मु0अ0सं0 105/2022 धारा 147/148/323/504/506/427 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ ।
- 2- मु0अ0सं0 60/2025 धारा 191(2) /191(3)/109/190 /61(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट कोतवाली फतेहगढ़ ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शनि राजपूत उपरोक्त:-

- 1- मु0अ0सं0 60/2025 धारा 191(2) /191(3)/109/190 /61(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट कोतवाली फतेहगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली थाना पुलिस/आबकारी टीम :-

- 1.आबकारी निरीक्षक श्री कुमार गौरव सिंह
- 2.उ०नि० मोहित मिश्रा
- 3.उ०नि० विशेष कुमार
- 4.उ०नि० अनिल कुमार
- 5.का० योगेश कुमार
- 6.का० अनुज सिंह
- 7.का० सुमित देशवाल
- 8.का० संदीप कुमार
- 9.का० राजन सिंह
- 10.का० यशवीर सिंह
- 11.का० पंकज कुमार
- 12.का० मंजीत सिंह
- 13.का० कपिल कुमार
- 14.का० वीरिन्द्र सिंह
- 15.का० नारायण भारती
- 16.म०का० सुनीता यादव
- 17.का० दिनेश गुप्ता
- 18.का० यादवेन्द्र यादव
- 19.म०का० किरन पाल

मीडिया सेल फतेहगढ ।



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट - कोतवाली फतेहगढ़

दिनांक :-12.03.2025

**कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 60/2025 धारा 191(2)
/191(3)/109/190 /61(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित
नामजद/वांछित 05 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस टीम द्वारा मुखविर की सूचना पर कोतवाली फतेहगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 60/25 धारा 191(2)/191(3)/109/190/61(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 05 नामजद/वांछित अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



घटना का विवरण:- दिनांक 12.03.2025 को आबकारी विभाग व कादरीगेट पुलिस को जरिए मुखविर सूचना मिली की मोहल्ला रामलीला गढ्ढा थाना कादरीगेट में अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है। थाना कादरीगेट पुलिस टीम व आबकारी विभाग की संयुक्त छापामारी के दौरान अभियुक्तगण 1. सोनपाल पुत्र राजाराम 2. विकास पुत्र रामप्रकाश 3. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र नरेश चन्द्र मोहल्ला रामलीला गढ्ढा लकुला थाना कादरीगेट को अवैध शराब के साथ मौके से गिरफ्तार कर अवैध कच्ची देशी शराब व अवैध शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी के आधार पर थाना कादरीगेट पर मु0अ0सं0- 0062/2025 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया कि होली का त्यौहार आ रहा है इसलिये कच्ची शराब को बेचकर मुनाफा बढ़ाने के लिये यह काम कर रहे थे। बाकी अपना पक्ष अपने वकील के माध्यम से मा0 न्यायालय में देना बताया।

बरामदगी का विवरण:-

1. 10 लीटर कच्ची।
2. 01 सिलेण्डर बडा मय पाइप रेगुलेटर।
3. 01 अदद चूल्हा, 05 किलो गुड।
4. 03 पतीला, 01 सफेद बाल्टी व 83 पाऊच
5. 01 अदद पिपिया

अभियुक्त सोनपाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 0062/2025 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त विकास उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 0062/2025 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

02. मु0अ0सं0 0494/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

03. मु0अ0सं0 0496/2021 धारा 188/269/270 आईपीसी व 3 महामारी अधिनियम कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त धर्मेन्द्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 0063/2025 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना कादरीगेट।

02. मु0अ0सं0 0042/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कादरीगेट।

03. मु0अ0सं0 0299/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कादरीगेट।

04. मु0अ0सं0 0558/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोत0 फतेहगढ़।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रजत उपरोक्त:-

1- मु0अ0सं0 60/2025 धारा 191(2)/191(3)/109/190/61(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट कोतवाली फतेहगढ़ ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त देवान्त उर्फ देवेश उपरोक्त:-

1- मु0अ0सं0 60/2025 धारा 191(2)/191(3)/109/190/61(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट कोतवाली फतेहगढ़ ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त करन माथुर उपरोक्त:-

1- मु0अ0सं0 60/2025 धारा 191(2) /191(3)/109/190 /61(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट कोतवाली फतेहगढ़ ।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 अखिलेश कुमार ।
2. उ0नि0 बलवीर सिंह दांगी ।
3. म0उ0नि0 रक्षा सिंह ।
4. उ0नि0 राहुल कुमार ।
5. उ0नि0 अनवीर सिंह ।
6. कां0 सचिन ।
7. कां0 राजकुमार ।

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।